भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1549

दिनांक 20.09.2020/ 29 भाद्रपद, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

आग्नेयास्त्रों का अवैध व्यापार

†1549. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में आग्नेयास्त्रों का अवैध व्यापार फल-फूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपराधी इस तरह की अवैध आग्नेयास्त्रों का उपयोग कर रहे हैं और विभिन्न राज्य पुलिस या एजेंसियां इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो अवैध हथियारों के उत्पादन और उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु शस्त्र अधिनियम को संशोधित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं, तदनुसार आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 19 से 25 के तहत कारगर विनियामक प्रावधान मौजूद हैं, जो विधि प्रवर्तन एजेंसियों को आग्नेयास्त्रों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तथा अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करते हैं। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा संबंधी निगरानी तंत्र तथा आयुध अधिनियम, 1959 और आयुध नियमावली, 2016 के अंतर्गत बने प्रावधानों को लागू करने के संबंध में दिनांक 01.03.2019 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है।

(घ): आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा विनिर्माण की परिभाषा को संशोधित करके और आग्नेयास्त्रों के रूपांतरण से संबंधित प्रावधानों को व्यापक बनाकर विधिक ढ़ांचे को मजबूत किया है। कुछेक मौजूदा अपराधों के लिए सजा के प्रावधानों में वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, संगठित अपराध, अवैध तस्करी और उतावलापन एवं लापरवाही से आग्नेयास्त्रों का उपयोग जैसे नए अपराधों को उनके दाण्डिक प्रावधानों के साथ परिभाषित किया गया है।

******